उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक : 26.04.2024

यू0पी0सी0एल0 की वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए पारित टैरिफ आदेश के मुख्य बिन्दु

- यू0पी0सी0एल0 द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 के सहीकरण (truing up), वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए वार्षिक निष्पादन समीक्षा (APR) एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) एवं टैरिफ निर्धारण हेतु दिनांक 18 दिसम्बर, 2023 को आयोग के समक्ष पीटिशन प्रस्तुत की गई।

- यू0पी0सी0एल0 द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु विद्युत क्रय लागत एवं अन्य खर्चों तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 के सहीकरण (truing up), वर्तमान टैरिफ के अनुरूप आंकलित राजस्व धनराशि रू0 9887.17 करोड़ तथा 13.00% वितरण हानि के आधार पर कुल धनराशि रू0 12,562.27 करोड़ की वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) दर्शायी गयी। जिसके अनुरूप, यूपीसीएल द्वारा आंकलित राजस्व अन्तर धनराशि रू0 2675.10 करोड की वसूली के लिए टैरिफ में लगभग 27.06% की वृद्धि प्रस्तावित की गयी।

- **इस टैरिफ आदेश दिनांक 28.03.2024 में आयोग द्वारा अभिलेखों के समीक्षोपरान्त निम्न अनुमोदन किये गयेः–**

  (1) वित्तीय वर्ष 2022–23 के संप्रेक्षित लेखों के आधार पर सहीकरण (truing up)।
  (2) वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR)
  (3) वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए टैरिफ निर्धारण।

- यू0पी0सी0एल0 द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़ों के परीक्षणों के आधार पर आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) रू0 10167.51 करोड़ निर्धारित किया गया है। यद्यपि वित्तीय वर्ष 2022–23 के अन्तिम सहीकरण (truing up) के प्रभाव तथा वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए आंकलित गैर टैरिफ आय को सम्मिलित करते हुए कुल राजस्व आवश्यता रू0 10690.03 करोड़ आती है। वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए 14708.02 एमयू की अनुमानित विक्रय पर वर्तमान टैरिफ (दिनांक 30 मार्च 2023 के अनुमोदित टैरिफ के अनुरूप) के आधार पर कुल राजस्व रू0 9997.69 करोड़ का अनुमान आंकलित किया गया, जिसके फलस्वरूप रू0 692.34 करोड़ का राजस्व अन्तर आया। इस राजस्व अन्तर रू0 692.34 करोड़ की वसूली के लिए वार्षिक टैरिफ में लगभग 6.92% की वृद्धि अनुमोदित की गयी।

- उपरोक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए अनुमोदित कुल राजस्व आवश्यकता रू0 10690.03 करोड़ एवं 14708.02 एमयू की अनुमानित विक्रय के आधार पर आपूर्ति की औसत लागत रू0 7.27/KWh होती

है जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023—24 के लिए अनुमोदित आपूर्ति की औसत लागत रू0 6.66 / KWh थी।

- मा0 आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024—25 के लिए वितरण हानि 13.00% अनुमोदित की गयी, जो कि यूपीसीएल द्वारा व्यापार योजना के लिए पारित आदेश दिनांक 31.03.2022 के अनुरूप आंकलित की गयी थी।

- वित्तीय वर्ष 2024—25 के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) का विवरण निम्नानुसार हैः—

तालिका : 1 वित्तीय वर्ष 2024—25 हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता हेतु अनुमोदन (रू0 करोड़)

क्र.	विवरण	यूपीसीएल द्वारा प्रस्तावित	आयोग द्वारा अनुमोदित
1.	विद्युत क्रय पर खर्च (RPO एवं जल कर को सम्मिलित करते हुए)	7514.47	7609.36
2.	यूजेवीएन लि0 बकाया / (अधिशेष)		(126.14)
3.	पारेषण शुल्क		
	पीजीसीआईएल	1007.33	765.82
	पिटकुल एवं एस0एल0डी0सी0	456.4	380.60
4.	ऋण पर ब्याज एवं वित्तीय चार्जेज	159.78	85.98
5.	उपभोक्ता प्रतिभूति जमा पर व्याज	67.07	67.07
6.	मूल्य ह्रास	338.23	252.95
7.	O&M व्यय	850.69	791.80
8.	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	147.21	142.26
9.	लाभांश	255.24	197.80
10.	अशोध्य ऋण के लिए प्रावधान	98.87	-
11.	**वार्षिक राजस्व आवश्यकता**	**10895.27**	**10167.51**
12.	घटायाः गैर टैरिफ आय	310.56	374.86
13.	जोड़ा : वित्तीय वर्ष 2022—23 के सहीकरण का प्रभाव अन्तर / (अधिशेष)	1977.56	897.38
14.	**शुद्ध राजस्व आवश्यकता**	**12562.27**	**10690.03**

वित्तीय वर्ष 2024—25 हेतु रिटेल टैरिफ के मुख्य बिन्दुः

- मा0 आयोग द्वारा पारित टैरिफ आदेश दिनांक 30 मार्च 2023 के सापेक्ष, समस्त बिजली कम्पनियों द्वारा प्रस्तावित संकलित वृद्धि लगभग 38.66% एवं यूपीसीएल द्वारा टैरिफ में प्रस्तावित वृद्धि लगभग 27.06% के सापेक्ष आयोग द्वारा टैरिफ में वृद्धि को प्रतिबन्धित कर मात्र लगभग 6.92% की वृद्धि की गयी।
- आयोग द्वारा विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं हेतु टैरिफ को पुनर्निधारित करते समय यह प्रयास किया गया कि सभी श्रेणियों में क्रास—सब्सिडी को कम किया जा सके।
- बीपीएल उपभोक्ताओं (लगभग 4.5 लाख उपभोक्ता, कुल घरेलू उपभोक्ताओं का 17%) एवं स्नोबाउण्ड उपभोक्ताओं के विद्युत मुल्य (Energy Charges) एवं स्थिर प्रभार (Fixed Charges) में कोई वृद्धि नहीं की गयी।

- घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं जिनका लोड 4 किलो वॉट तक है के लिए स्थिर प्रभार (Fixed Charges) में रू0 15/kW/माह की मामूली वृद्धि की गयी तथा जिनका लोड 4 किलो वॉट से अधिक है, उनके लिए स्थिर प्रभार (Fixed Charges) में रू0 20/kW/माह की मामूली वृद्धि की गयी एवं सिंगल प्वॉईट बल्क सप्लाई उपभोक्ता के लिए रू0 20/kVA की वृद्धि की गयी। [कुल लगभग 22 लाख उपभोक्ता (कुल घरेलू उपभोक्ताओं का 82%)]
- घरेलू श्रेणी के 100 यूनिट/माह तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं हेतु विद्युत मुल्य (Energy Charges) में मात्र 25 पैसा की वृद्धि तथा 101 यूनिट/माह से 200 यूनिट/माह उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं हेतु विद्युत मुल्य (Energy Charges) में 30 पैसा की वृद्धि एवं 201 यूनिट/माह से 400 यूनिट/माह तक एवं 400 युनिट/माह से अधिक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं हेतु विद्युत मुल्य (Energy Charges) में 40 पैसा की वृद्धि एवं सिंगल प्वॉईट बल्क सप्लाई उपभोक्ताओं के लिए रू0 75 पैसा/ kVAh की वृद्धि की गयी है। [कुल लगभग 22 लाख उपभोक्ता (कुल घरेलू उपभोक्ताओं का 82%)]
- आयोग द्वारा घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए, राष्ट्रीय टैरिफ नीति के अनुरूप आपूर्ति की औसत लागत के 20% पर क्रॉस सब्सिडी रखने के उद्देश्य से वृद्धि की है। यह टैरिफ बढोत्तरी के उपरान्त भी घरेलू श्रेणी की क्रॉस सब्सिडी 20% ही है। टैरिफ पॉलिसी में दिये गये प्रावधान के अन्तर्गत सभी श्रेणियों के लिए टैरिफ आदर्श रूप से आपूर्ति की औसत लागत के +/– 20% के बैण्ड के भीतर रखना होता है। घरेलू श्रेणी के निम्नतम् स्लैब के लिए टैरिफ को आपूर्ति की औसत लागत के 80% पर रखने के लिए, टैरिफ को 100 यूनिट खपत के लिए बढ़ाकर रू0 5.82/kWh किये जाने की आवश्यकता थी, जिसके सापेक्ष रू0 4.15/kWh टैरिफ स्वीकृत किया गया। घरेलू श्रेणी के लिए 20% पर समग्र क्रॉस सब्सिडी प्राप्त करने हेतु उच्च स्लैब के लिए टैरिफ को अधिक रखा गया है।
- आयोग द्वारा पीटीडब्ल्यू श्रेणी के लिए मामूली बढ़ोत्तरी कर विद्युत मूल्य को रू0 2.30/kWh से वृद्धि कर रू0 2.55/kWh किया गया तथा क्रास सब्सिडी को वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए 64.5% से घटा कर वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए 63.7% किया गया। टैरिफ पॉलिसी में दिये गये प्रावधान के अन्तर्गत सभी श्रेणियों का टैरिफ औसत मूल्य आपूर्ति के +/-20% की सीमा के भीतर रखना होता है। पीटीडब्ल्यू का टैरिफ अगर आपूर्ति की औसत लागत का 80% निर्धारित किया जाता है तो इसे बढ़ाये जाने की आवश्यकता थी, जिस प्रकार यह रू0 5.82/kWh होता। इस तरह की वृद्धि के परिणामस्वरूप अचानक टैरिफ वृद्धि होती, इसलिए पीटीडब्ल्यू के लिए टैरिफ को आपूर्ति की औसत लागत से 63.7% कम रखा गया है।
- आयोग द्वारा सोलर वॉटर हीटर में छूट रू0 75.00 प्रति 50 लीटर क्षमता रखी गयी है।
- आयोग ने डिजिटल मोड के माध्यम से किए जाने वाले विद्युत बिलों के भुगतान के लिए शीघ्र भुगतान की छूट 1.5% और किसी अन्य माध्यम से विद्युत बिलों के भुगतान के लिए छूट 1% किया गया है।
- आयोग ने बिल योग्य मांग को, वास्तविक अधिकतम मांग या अनुबंधित भार का 75%, जो भी अधिक हो, के सापेक्ष रखा है।

- आयोग द्वारा यूपीसीएल को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि आपातकालीन ब्रेक–डाउन/शट–डाउन के कारण आवश्यक लोड शेडिंग को छोड़कर निरंतर आपूर्ति का विकल्प चुनने वाले उपभोक्ताओं को विद्युत की निर्बाध आपूर्ति मिलती रहे, अन्यथा विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत उनके खिलाफ कार्यवाई शुरू की जा सकती है। यद्यपि, निरंतर आपूर्ति का विकल्प केवल दिन में चौबीस घंटे और सप्ताह में सात दिन, बिना किसी साप्ताहिक अवकाश के संचालित होने वाले सतत प्रक्रिया उद्योगों के लिए उपलब्ध होगा। इसके अलावा, यह विकल्प केवल एक स्वतंत्र फीडर या औद्योगिक फीडर के माध्यम से जुडे निरंतर प्रक्रिया उद्योगों के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते कि ऐसे फीडर पर सभी औद्योगिक उपभोक्ताओं द्वारा निरंतर आपूर्ति का विकल्प चुना गया हो।
- आयोग ने पीक आवर टैरिफ को सामान्य घण्टे के टैरिफ के 130% के बराबर बरकरार रखा है एवं ऑफ पीक आवर रीबेट को 20% से बढ़ाकर सामान्य घण्टे के टैरिफ के 25% के बराबर किया है।
- माह में प्रतिदिन 18 घण्टे की न्यूनतम औसत आपूर्ति प्राप्त नहीं किये जाने की दशा में एच0टी0 औद्योगिक उपभोक्ताओं का डिमान्ड चार्जेज उस माह में अनुमोदित डिमाण्ड चार्जेज का 80% लगाया जायेगा।
- टैरिफ संरचना को सरल बनाने के लिए, आयोग द्वारा एलटी उद्योग की दो उप–श्रेणियों को विलय किया गया तथा इसे एक एकल श्रेणी ''75 किलोवाट (100 बीएचपी) तक अनुबंधित लोड वाले एलटी उद्योग'' के रूप में निर्दिष्ट कर दिया गया है।
- आयोग द्वारा बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं के अनुरोधों पर विचार करते हुए यूपीसीएल को 3 एमवीए और उससे अधिक की अनुबंध मांग वाले बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं के बिल पाक्षिक आधार पर (प्रत्येक 15 दिन में) निर्गत किये जाने के निर्देश दिये गये है।
- आयोग द्वारा उन उपभोक्ताओं के लिए जो केवल नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से उत्पन्न बिजली का उपभोग करना चाहते है, उनके लिए हरित टैरिफ रू0 0.28/kWh की दर से अनुमोदित किया गया है जो कि उस श्रेणी के स्वीकृत टैरिफ के अतिरिक्त लागू होगा।
- वर्तमान टैरिफ आदेश एवं पूर्व में निर्गत टैरिफ आदेश दिनांक 30.03.2023 के सापेक्ष, उपभोक्ताओं की श्रेणियों में टैरिफ की सामान्य वृद्धि उपरान्त औसत बिलिंग दर में वृद्धि निम्नवत् हैः

तालिका–2 : वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु औसत बिलिंग दर में वृद्धि

श्रेणी	पिछले वर्ष के टैरिफ आदेश दिनांक 30.03.2023 के अनुसार टैरिफ	संशोधित औसत बिलिंग दर (रुपये/किलोवाट)	पिछले वर्ष के टैरिफ आदेश दिनांक 30.03.2023 के सापेक्ष संशोधित औसत बिलिंग दर में वृद्धि
घरेलू	5.33	5.82	0.49
अघरेलू	7.74	8.43	0.69
गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटी	7.70	8.36	0.66
पीटीडब्ल्यू	2.37	2.64	0.27
एल0टी0 इंडस्ट्रीज	7.20	7.84	0.64
एच0टी0 इंडस्ट्रीज	7.26	7.90	0.64
मिक्स लोड	6.95	7.47	0.52
रेलवे	6.89	7.43	0.54
EV चार्जिंग स्टेशन	6.25	7.00	0.75

- विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिये दिनांक 01.04.2024 से अनुमोदित फुटकर टैरिफ दरों का विवरण निम्नवत् हैः—

वर्तमान टैरिफ (टैरिफ आदेश दिनांक 30.03.2023), यूपीसीएल द्वारा प्रस्तावित टैरिफ एवं आयोग द्वारा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए श्रेणीवार अनुमोदित टैरिफ

आर0टी0एस0—1: घरेलू प्रभार

तलिका 3 : घरेलू उपभोक्ताओं हेतु टैरिफ

क्र0 सं0	विवरण	वर्तमान टैरिफ		UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
		स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
	आर0टी0एस0—1: घरेलू						
1.1	लाईफ—लाईन उपभोक्ता	Rs. 18/Connection	Rs. 1.75/kWh	Rs. 18/Connection	Rs. 1.93/kWh	Rs. 18/Connection	Rs. 1.75/kWh
1.2	अन्य घरेलू उपभोक्ता						
(i)	0-100 यूनिट्स / माह	• Upto 1 kW-Rs. 60/kW/Month • Above 1 kW and upto 4 kW -Rs. 70/kW/ month • Above 4 kW- Rs. 80/kW/ month	Rs. 3.15/ kWh	• Upto 1 kW-Rs. 70/kW/Month • Above 1 kW and upto 4 kW-Rs. 81 /kW/month • Above 4 kW- Rs. 93/kW/ month	Rs. 3.65/ kWh	• Upto 1 kW-Rs. 75/kW/Month • Above 1 kW and upto 4 kW-Rs. 85/ kW/ month • Above 4 kW- Rs. 100/kW/ month	Rs. 3.40/kWh
(ii)	101-200 यूनिट्स / माह		Rs. 4.60/ kWh		Rs. 5.43/ kWh		Rs. 4.90/kWh
(iii)	201-400 यूनिट्स / माह		Rs. 6.30 /kWh		Rs. 7.56/ kWh		Rs. 6.70 /kWh
(iv)	400 से ऊपर यूनिट्स / माह		Rs. 6.95/ kWh		Rs. 9.17/ kWh		Rs. 7.35/kWh
2	एकल बिन्दु थोक आपूर्ति	Rs. 100/kVA	Rs. 6.25/ kVAh	Rs.124/kVA	Rs. 7.88/ kVAh	Rs. 120/kVA	Rs. 7.00/kVAh

आर0टी0एस0—1ए : हिमाच्छादित क्षेत्रों हेतु रियायती प्रभार

तालिका 4 : हिमाच्छादित क्षेत्रों हेतु रियायती टैरिफ

क्र0 सं0	विवरण	वर्तमान टैरिफ		UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
		स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
	आर0टी0एस0 1ए : हिमाच्छादित						
1.	घरेलू	Rs. 18/ Connection	Rs. 1.75/kWh	Rs. 21/ Connection	Rs. 2.01/kWh	Rs. 18/ Connection	Rs. 1.75/kWh
2.	1 किलो वाट तक के अघरेलू	Rs. 18/ Connection	Rs. 1.75/kWh	Rs. 21/ Connection	Rs. 2.01/kWh	Rs. 18/ Connection	Rs. 1.75/kWh
3.	1 किलो वाट से ऊपर व 4 किलो वाट तक के अघरेलू	Rs. 18/ Connection	Rs. 2.60/kWh	Rs. 21/ Connection	Rs. 2.99/kWh	Rs. 18/ Connection	Rs. 2.60/kWh
4.	4 किलो वाट से ऊपर के अघरेलू	Rs. 30/ Connection	Rs. 3.80/kWh	Rs. 35/ Connection	Rs. 4.37/kWh	Rs. 30/ Connection	Rs. 3.80/kWh

आर0टी0एस0–2 : अघरेलू टैरिफ

तालिका 5 : अघरेलू उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ

क्र0 सं0	विवरण	वर्तमान टैरिफ		UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
		स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
1	सरकारी, शैक्षणिक संस्थानों एवं चिकित्सालयों आदि						
1.1	25 किलो वॉट तक	Rs. 80/ kW	Rs. 5.40/ kWh	Rs.104/kW	Rs 7.02/kWh	Rs. 90/ kW	Rs. 5.70/ kWh
1.2	25 किलो वॉट से ऊपर	Rs. 90/ kVA	Rs. 5.15/ kVAh	Rs. 117/kVA	Rs 6.70 /kVAh	Rs. 100/ kVA	Rs. 5.50/ kVAh
2	अन्य अघरेलू उपभोक्ता						
2.1	4 कि0वॉ0 तक तथा उपभोग 50 यूनिट्स तक प्रतिमाह	Rs. 75 / kW	Rs. 5.10/ kWh	Rs 98 /kW	Rs.6.63 /kWh	Rs. 90 / kW	Rs. 5.40/ kWh
2.2	अन्य 25 किलोवॉट तक जो ऊपर 2.1 में शामिल नहीं	Rs. 95 / kW	Rs. 6.70/ kWh	Rs. 124 /kW	Rs. 8.71 /kWh	Rs. 110 / kW	Rs. 7.35/ kWh
2.3	25 किलो वॉट से ऊपर	Rs. 95 / kVA	Rs. 6.70/ kVAh	Rs. 124 /kVA	Rs. 8.71/kVAh	Rs. 115 / kVA	Rs. 7.35/ kVAh
3	75 किलोवॉट से ऊपर सिंगल प्वाइंट थोक आपूति	Rs. 110 / kVA	Rs. 6.80/ kVAh	Rs. 143/ kVA	Rs. 8.84 /kVAh	Rs. 130 / kVA	Rs. 7.35/ kVAh
4	स्वतंत्र विज्ञापन होर्डिंग	Rs. 120/ kW	Rs. 7.50/kWh	Rs. 156/ kW	Rs 9.75 /kWh	Rs. 140/ kW	Rs. 8.20/kWh

आर0टी0एस0–3 : गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटिज़

तलिका 6 : गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटिज़ हेतु टैरिफ

विवरण	वर्तमान टैरिफ		UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
	स्थिर/मांग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर/मांग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर/मांग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
शहरी (मीटर्ड)	Rs. 115/kVA	Rs. 6.90/ kVAh	Rs. 152/kVA	Rs. 9.11/ kVAh	Rs. 130/kVA	Rs. 7.45/ kVAh
ग्रामीण (मीटर्ड)	Rs. 105/kVA	Rs. 6.90/ kVAh	Rs. 139/kVA	Rs. 9.11/ kVAh	Rs. 120/kVA	Rs. 7.45/ kVAh

आर0टी0एस0–4/4ए : निजी नलकूप/पंपिंग सेट्स हेतु टैरिफ

तालिका 7 : निजी नलकूप/पंपिंग सेट्स हेतु टैरिफ

श्रेणी	वर्तमान टैरिफ		UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
	स्थिर/मांग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर/मांग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर/मांग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
आर0टी0एस0–4: निजी नलकूप/पंपिंग सेट्स						
मीटर्ड	Nil	Rs. 2.30/ kWh	Nil	Rs. 2.65/ kWh	Nil	Rs. 2.55/ kWh
आर0टी0एस0–4ए: कृषि सहयोगी सेवायें						
मीटर्ड	Nil	Rs. 3.25/ kWh	Nil	Rs. 3.74/ kWh	Nil	Rs. 3.60/ kWh

आर0टी0एस0–5 : इंडस्ट्रीज हेतु टैरिफ

तालिका 8 : एलटी इंडस्ट्रीज हेतु टैरिफ

श्रेणी	वर्तमान टैरिफ		UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
आर0टी0एस0-5: इंडस्ट्री						
एलटी इंडस्ट्रीज						
1. अनुबंधित भार 25 किलोवॉट तक	Rs. 170/ kW	Rs. 5.45/ kWh	Rs. 219/ kVA	Rs. 6.44/ kVAh	Rs. 185/ kVA	Rs. 5.40/ kVAh
2. अनुबंधित भार 25 किलोवॉट से अधिक	Rs. 175/ kVA	Rs. 5.15/ kVAh	Rs. 219/ kVA	Rs. 6.44/ kVAh	Rs. 185/ kVA	Rs. 5.40/ kVAh

तालिका 9 : एचटी इंडस्ट्रीज के लिए मौजूदा, प्रस्तावित एवं स्वीकृत टैरिफ

क0	श्रेणी	लोड फेक्टर	वर्तमान टैरिफ		UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
			विद्युत मूल्य (Rs./kVAh)	स्थिर /मॉग प्रभार (Rs./kVAh)	विद्युत मूल्य (Rs./kVAh)	स्थिर /मॉग प्रभार (Rs./kVA)	विद्युत मूल्य (Rs./kVAh)	स्थिर /मॉग प्रभार (Rs./kVA)
1	**88kVA/75 kW (100 BHP) से अधिक अनुबन्धित लोड वाली एच0टी0 इंडस्ट्रीज**							
1.1	1000 kVA **तक अनुबन्धित लोड**	Upto 40%	5.50	Rs. 390/kVA of the billable demand	7.10	Rs. 507/kVA of the billable demand	6.00	Rs. 410/ kVA of the billable demand
		Above 40%	5.90		7.63		6.40	
1.2	1000 kVA **से अधिक अनुबन्धित लोड**	Upto 40%	5.50	Rs. 460/kVA of the billable demand	7.10	Rs. 598/kVA of the billable demand	6.00	Rs. 480/ kVA of the billable demand
		Above 40%	5.90		7.63		6.40	

आर0टी0एस0-6: मिश्रित भार हेतु टैरिफ

तालिका 10 : मिश्रित भार हेतु टैरिफ

विवरण	वर्तमान टैरिफ		UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
	स्थिर /मॉग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर /मॉग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर /मॉग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
आर0टी0एस0–6 : मिश्रित भार						
डीम्ड लाईसेंसी के रूप में एम0ई0एस0 सहित 75 किलोवॉट से ऊपर मिश्रित भार सिंगल प्वाईंट थोक आपूर्ति	Rs. 130/kVAh	Rs. 6.50/ kVAh	Rs. 166/kVA	Rs. 8.32/ kVAh	Rs. 150/kVA	Rs. 6.90/ kVAh

आर0टी0एस0–7 : रेलवे ट्रैक्शन हेतु टैरिफ

तलिका 11 : रेलवे ट्रैक्शन हेतु टैरिफ

विवरण	वर्तमान टैरिफ		UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
	स्थिर /मॉग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर /मॉग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर /मॉग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
आर0टी0एस0-7: रेलवे ट्रैक्शन	Rs. 315/kVA	Rs. 6.10/ kVAh	Rs. 416/kVA	Rs. 8.05/ kVAh	Rs. 330/kVA	Rs. 6.60/ kVAh

आर0टी0एस0–8 : इलैक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनस्

तालिका 12 : इलैक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनस् हेतु टैरिफ

विवरण	वर्तमान टैरिफ		UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
	स्थिर /मॉग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर /मॉग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर /मॉग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
आर0टी0एस0–8 : इलैक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनस्	--	Rs. 6.25/ kWh	--	Rs. 7.56/ kWh	--	Rs. 7.00/ kWh

****